

20.03.2025:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल
वादी पत्र अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र
अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212
आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती।
मूल वादपत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी
का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. में स्थगन आदेश दिनांक 26.03.20263 को
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।



Handwritten signature
सहायक क्लर्क
एवं उपव्यवस्थापिका
मनुमानगढ़